



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर, 2020
 आश्विन 16, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 454/23-2-2020-57(रिट)-2020
 लखनऊ, 8 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-269

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी के क्रान्ति चौराहा घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला कुशीनगर में क्रान्ति चौराहा घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला कुशीनगर में क्रान्ति चौराहा घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर परगना का नाम	नदी के दोनों ओर ग्रामों का नाम	नदी जिस पर नौकाघाट स्थापित है	नौकाघाट का नाम	नौकाघाट की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
कुशीनगर	सिधुआ जोबना हवेली	मडार बिन्दवलिया मलहाई पट्टी रानीपुर केरवानी टोला मझउवां	छोटी गण्डक	क्रान्ति चौराहा घाट	“अ”

नौघाट की सीमा

किनारा	धारा के प्रतिकूल	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
7	8	9	10	11
बायां-दायां	बेलवा घाट	8.00 कि०मी०	पुरानी घुघली घाट	4.00 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 454/XXIII-2-2020-57(Writ)-2020, dated October 8, 2020 for general information:

No. 454/XXIII-2-2020-57(Writ)-2020

Dated Lucknow, October 8, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the river Chhoti Gandak River at Kranti Chauraha Ghat in district Kushinagar;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Kranti Chauraha Ghat in district Kushinagar within the limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Kranti Chauraha Ghat in district Kushinagar shall vest in the Superintending Engineer, Deoria Circle, Lok Nirman Vibhag, Deoria.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of Village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry	Class of Ferry
1	2	3	4	5	6
Kushinagar	Sidhua Jobna Haveli	Madar Bindwaliya Malhai Patti Ranipur Kerwani Tola Majhuua	Chhoti Gandak	Kranti Chauraha Ghat	"A"

Bank Edge	Limit of Ferry			
	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
7	8	9	10	11
Left-Right	Belwa Ghat	8.00 Km.	Old Ghughali Ghat	4.00 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.